न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 204/2011

वादीया :-

1. पपूडीदेवी पत्नी मोहनलाल जाति कुमावत निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पेमाराम पुत्र गोकलराम
2. चन्द्राराम पुत्र रामलाल
3. मूलाराम पुत्र रावतराम
4. पेमाराम पुत्र रावतराम

जातियान कुमावत निवासीगण बेरा मौटावतो की ढीमडी निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान.

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:. 02/09/2011

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः 06/06/2015

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-निमाज, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 2-17 बीघा, ख0न0 236 रकबा 2 बीघा की आयी हुई हैं। उक्त कृषि भूमि में वादीया का 30/32 हिस्सा है जो जरिये रजिस्टर्ड बैचान के प्रतिवादी सं. एक से खरीद की गयी हैं। तथा नकल जमाबंदी वाद पत्र के साथ पेश हैं। जिसे वाद पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उक्त विवादित कृषि भूमि को वादीया ने प्रतिवादी सं0 से खरीद करने के बाद मौके पर कब्जा, प्राप्त कर लिया तथा अपने हिस्से पर काबिज होकर के वादीया शांति पूर्वक काश्त करती हुई चली आ रही हैं। तथा उक्त कृषि भूमि के पास ही प्रतिवादीगण की कृषि भूमि है परन्तु अब जमीनो की कीमते अधिक हो जाने से प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ गयी तथा प्रतिवादीगण वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करना शुरु कर दिया। इसलिए यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा में वादीया का मालिकाना हक हैं। जिसमें प्रतिवादीगण का वादीया के हिस्से में कोई हक व अधिकार नही हैं। तथा वादीया का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज हैं। परन्तु प्रतिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के लाठी के बल पर गैरकानूनी रुप से वादीया की आराजी में दखलन्दाजी कर बेदखल करने पर आमादा हैं। तथा प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादो में यदि सफल हो जाते हैं तो वादीया को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हैं। वादीया को शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर प्रतिवादीगण उसे बेदखल कर देते हैं तो वादीया अपने साम्पैतिक अधिकारो महरुम होना पडेगा। तथा प्रतिवादीगण को वादीगण की मालिकाना हक की आराजी में इस तरह के गैरकानूनी कृत्य का कोई हक व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अधिकार नही हैं। परन्तु फिर भी प्रतिवादीगण अपनी हथर्मिता व लाठी के बल पर वादीया की आराजी में कब्जा जमा लेते है तो वादीया हमेशा के लिये अपने जायज हक व अधिकारो से महरुम हो जायेगी तथा प्रतिवादीगण जबरन मौक पर जाकर के कब्जा करते हैं तो विवाद बढेगा जिससे अनेको प्रकार की मुकदमेंबाजी होगी एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स होगी इसलिए वादीया के पास कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश हैं। दिनांक 1.9.11 को वादीया अपनी आराजी में काश्त का कार्य कर रही थी। तो प्रतिवादीगण एकराय होकर के वादीया को एलानिया धमकी दी कि बेदखल कर हम कब्जा जमा लेगें। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा गैरकानूनी कृत्य करने का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। परन्तु फिर भी प्रतिवादीगण संख्या में अधिक होने से वादीयक की आराजी में बिना किसी हक व अधिकार के दखलन्दांजी कर गैरकानूनी रुप से कब्जा कर लेते है तो वादीया अपने विधिक अधिकारों से महरुम से होना पडेगा जिसकी भरपाई किसी कदर संभव नहीं हैं, प्रतिवादीगण को इस तरह का गैरकानूनी कृत्य करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीया के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश हैं। उक्त आराजी वादीया व अन्य खातेदारो के सामलाती है परन्तु अन्य खातोदारो को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं क्योकि उनके विरुद्ध वादीया को किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। बिनाय वाद दिनांक 01/09/2011 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीया की आराजी में जाकर उसे काश्त का कार्य करने से मना करने एवं कब्जे से बेदखल कर गैरकानूनी रुप से कब्जा करने की धमकी देने एवं दखलन्दाजी करने से बमुकाम निमाज तहसील जैतारण मैं पैदा हुआ जो श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में हैं।

वादीया का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। प्रतिवादीगण को जबाब पेश करने का कई बार समय दिए जाने के बावजूद भी जबाब पेश नहीं करने से प्रतिवादीगण का जबाब बन्द किया जाता हैं। वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण दखल करते हैं, जिन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोकना उचित समझते हैं। चूँकि वादीया राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–निमाज, तहसील–जैतारण में वादी व प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 2–17 बीघा, ख0न0 236 रकबा 2 बीघा में प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 06/06/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित शिविर निमाज में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीया :-

1. पपूड़ीदेवी पत्नी मोहनलाल जाति कुमावत निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पेमाराम पुत्र गोकलराम
2. चन्द्राराम पुत्र रामलाल
3. मूलाराम पुत्र रावतराम
4. पेमाराम पुत्र रावतराम
5. जातियान कुमावत निवासीगण बेरा मौटावतो की ढीमडी निमाज तहसील-जैतारण, जिला-पाली राजस्थान

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:204/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-निमाज, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 2-17 बीघा, ख0न0 236 रकबा 2 बीघा में प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 06/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	61	-00	स्टाम्प वकालतनामा	02	-00
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	01	-00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	05	-00	मिजानः-	02	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner